



सत्यमेव जयते

**भारत सरकार**  
**Government of India**  
**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**  
**National Commission for Scheduled Tribes**  
 (A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

केस नंबर: JG/16/2019/STGUP/SEFCC/RU-I

दिनांक: 01.07.2019

**SITTING NOTICE**

विषय: अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न जारी करने के संबंध में- ज़िला अध्यक्ष, अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा, शाखा- जौनपुर, का अभ्यावेदन।

चूँकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण/ जांच करने का निर्णय लिया है। (प्रकरण में ज़िला प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिला है।

2 सुश्री अनुसुईया उड़के, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/ जांच / की गई कार्रवाई/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक **16.07.2019 को 02.30** बजे सिटिंग निर्धारित की है।

3 तदनुसार आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबन्धित सम्पूर्ण तथ्य एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/ दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4 कृपया ध्यान रखें कि यदि बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खण्ड (8) के अन्तर्गत प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(राजेश्वर कुमार)

सहायक निदेशक

दूरभाष: 24641640

ज़िला अधिकारी,  
ज़िला- जौनपुर,  
(उत्तर प्रदेश)

ज़िला समाज कल्याण अधिकारी,  
ज़िला- जौनपुर,  
(उत्तर प्रदेश)

प्रतिलिपि:

श्री जगदीश गौड,  
ज़िला अध्यक्ष, अखिल भारत वर्षीय गौड महासभा, राधा- जौनपुर,  
ग्राम- सुल्तानपुर, (सलेमपुर),  
पोस्ट- कुसिया जलालपुर,  
ज़िला- जौनपुर,  
(उत्तर प्रदेश)  
(मोबाइल नंबर: 9935458313)

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
3. PS to Hon'ble Member (HKD), NCST
4. PA to Hon'ble Member (HCV), NCST
5. PS to Hon'ble Member (MCI), NCST
6. Sr. PPS to Secretary, NCST
7. Office of the Joint Secretary, NCST
8. Director, NCST
9. AD (Admin.)/ Please make all necessary arrangements on the day of the sitting.
10. NIC (please upload on the Commission's website and also send the e-mail to concerned)